262

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक:प07(8)कार्मिक / क–2 / 08 जयपुर, दिनांक: 6–5–2010

आदेश

डी. बी. सिविल रिट याचिका सं. 12810/2009 जी. शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय के आरक्षण को 50 प्रतिशत की सीमा में रखने के आदेश दिनांक 4.11.2009 को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि तत्काल प्रभात से आरक्षण संबंधी मामले में न्यायालय का अन्तिम निर्णय होने तक की अवधि में भर्ती के लिए विज्ञापित पदों के 4 प्रतिशत विशेष पिछड़ा वर्ग एवं 14 प्रतिशत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त नोशनल पद निर्धारित किये जा कर रखे जायेंगे तथा न्यायालय द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम,2008 को वैध घोषित होने की परिस्थिति में निर्धारित पद उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग से भरे जाने के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे ।

राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि तत्काल प्रभाव से उक्त रिट याचिका का निर्णय होने तक की अवधि में निर्धारित आयु सीमा पार करने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का लाभ देय होगा।

अतः प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी उक्त अवधि में भर्ती के लिए विज्ञापित पदों के 4 प्रतिशत विशेष पिछड़ा वर्ग एवं 14 प्रतिशत आर्थिक पिछड़ा वर्ग पद राज्य सरकार के उक्त निर्णय के अनुसार निर्धारित कर कार्मिक विभाग को सूचित करेगा।

कार्मिक विभाग इस प्रकार निर्धारित पदों का एक रजिस्टर में अभिलेख संधारित करेगा।

आज्ञा से
6.5.10.
(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान।

23/2010

263

3. प. सचिव, मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
4. जी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
5. स्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
6. स्त विभागाध्यक्ष/सम्भागीय आयुक्त मय जिला कलेक्टर्स।
7. मण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल आज्ञा संख्या 108/2010 दिनांक 5–2010 के कम में।

शासन उप सचिव

लिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है:–

1. चिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. चिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. चिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. जीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
5. जीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. देशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।

शासन उप सचिव

23/2010